रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 1977/माघ 21, 1898
No. 64] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 1977/MAGHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February 1977

S.O. 157(E).—Whereas the Manipur Hills Union was a recognised State Party on the State of Manipur with the symbol "Lion" reserved for it;

And whereas the name of the Party was subsequently changed as the Manipur Hills-Plain Union;

And whereas the Manipur Hills Union has represented that all the 12 Members of the Legislative Assembly returned to the Manipur Legislative Assembly on its ticket have joined the Indian National Congress, that the party as such has ceased to exist and that it had at no time merged with the Manipur Hills Plain Union Party,

And whereas the Manipur Hills Plain Union Party has represented that the Manipur Hills Union has merged with it and that the Manipur Hills Plain Union has not merged with the Indian National Congress;

And whereas there is no time to enquire into the said dispute before the forthcoming General Election to the House of the People, in accordance with paragraph 15 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968, and immediate action is necessary to avoid confusion at the election;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it by article 324 of the Constitution of India, rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and

paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and all other powers enabling it in that behalf, the Election Commission of India hereby directs—

(i) that the symbol 'Lion' reserved for the Manipur Hills-Plain Union in the State of Manipur referred to in Table 2 of the Commission's notification No. 56/77-II, dated 9 February, 1977, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(ii), dated 9 February, 1977 shall be withdrawn and shall remain so withdrawn so far as the State of Manipur is concerned, with immediate effect and until further orders; and

(ii) that for any purpose of the said general election, none of the rival groups shall be treated as a recognised State Party in the State of Manipur.

[No. 56/77-III]

By Order

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1977

का० आ० 157(अ).—मणिपुर हिल्स यूनियन मणिपुर राज्य में एक मान्यता प्राप्त राज्यीय दल था और उसके लिए "शेर" प्रतीक आरक्षित था ;

और तत्पश्चात् उस दल का नाम मणिपुर हिल्स–प्लेन यूनियन के रूप में परिवर्तित हो गया था ;

और मणिपुर हिल्स यूनियन ने यह अभ्यावेदन किया है कि इसके टिकट पर मणिपुर विधान सभा के लिए निर्वाचित सभी 12 विधान सभा सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गए है, और वह दल उस रूप मे अब अस्तित्व में नही रह गया है और वह दल कभी भी मणिपुर हिल्स - प्लेन यूनियन दल में विलय नही हुआ था ;

और मणिपुर हिल्स यूनियन दल ने यह अभ्यावेदन किया है कि मणिपुर हिल्स यूनियन उसमे विलय हो गया है और मणिपुर हिल्स–प्लेन यूनियन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है ,

और लोक सभा के आगामी साधारण निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 के अनुसार, उक्त विवाद की जांच करने के लिए उचित नहीं है, और निर्वाचन में भ्रान्ति से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ;

अत., अब भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और नियम 10, तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियो और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि —

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3 (ii) तारीख 9-2-1977 में प्रकाशित इस आयोग की तारीख 9-2-1977 अधिसूचना सं० 56/77–II की सारणी 2 में निर्दिष्ट मणिपुर राज्य में मणिपुर हिल्स-प्लेन यूनियन के लिए आरक्षित

प्रतीक 'शेर' वापस ले लिया जाएगा और मणिपुर राज्य के बारे में वह इसी समय से अगले आदेशो तक ऐसे वापस लिया गया ही रहेगा ; तथा

(ii) उक्त साधारण निर्वाचन के प्रयोजन के लिए इन प्रतिद्वंदी गुटो में से किसी को भी मणिपुर राज्य में एक मान्यता प्राप्त राज्यीय दल के रूप मे नहीं माना जाएगा ।

[स० 56/77-III]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977